क्रम-संख्या—215

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०—4

लाइसेन्स सं० डब्ल्यू० पी०—41

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 7 अप्रैल, 1982

चैत्र 17, 1904 शक् सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग-1

संख्या 1210/सत्रह-वि0-1-32-1981

लखनऊ, 7 अप्रैल, 1982

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1982 पर दिनांक 7 अप्रैल, 1982 ई0 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन् 1982 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1982

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन् 1982]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 और संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

अध्याय—एक

प्रारम्भिक

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 1982 कहा जायगा। — संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह 4 जनवरी, 1982 से प्रवृत्त समझा जायगा।

अध्याय--दो

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1959 की धारा 11-क का निकाला जाना

2--उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की, जिसे आगे इस अध्याय अधिनियम कहा गया है, धारा 11-क निकाल दी जायगी ।

धारा 12 का संशोधन

3--मूल अधिनियम की धारा 12 में,--

(क) पार्श्व शीर्षक और उपधारा (1) में, जहां-जहां भी शब्द "उप नगर प्रमुख" आये हों, उनके स्थान पर, शब्द "नगर प्रमुख और उप नगर प्रमुख" रख दिए जायेंगे, और उपधारा (1) में शब्द "किया जायगा" के स्थान पर शब्द "किये जायेंगे" रख दिए ज

(ख) उपधारा (3) में, शब्द "उप नगर प्रमुख" के स्थान पर शब्द "नगर प्रमुख उप नगर प्रमुख" रख दिए जायेंगे;

(ग) उपधारा (5) में, शब्द "उप नगर प्रमुख" के स्थान पर, शब्द "नगर प्रमुख और उप नगर प्रमुख" रख दिये जायेंगे ।

धारा 13 का संशोधन

4--मूल अधिनियम की धारा 13 में, शब्द "उप नगर प्रमुख" के स्थान पर शब्द "नगर प्रमुख और उप नगर प्रमुख" रख दिए जायेंगे ।

धारा 14 का संशोधन

5--मूल अधिनियम की धारा 14 में, शब्द और अंक "यथास्थिति, धारा 11-क या धारा में" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा 12 में" रख दिये जायेंगे ।

धारा 16 का संशोधन

6--मूल अधिनियम की धारा 16 में,--

(क) उपधारा (3) में, शब्द "दो-तिहाई से" के स्थान पर, शब्द "आधे से" र दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (15) में, शब्द "दो-तिहाई बहुमत" के स्थान पर, शब्द "आधे अधिक से बहुमत" रख दिये जायेंगे ।

धारा 46 का संशोधन

7--मूल अधिनियम की धारा 46 में, खण्ड (ध) में, शब्द "उप नगर-प्रमुख" के स्थान पर, शब्द "नगर प्रमुख और उप नगर प्रमुख" रख दिय जायेंगे ।

धारा 61 का संशोधन

8--मूल अधिनियम की धारा 61 में, पार्श्व शीर्षक और उपधारा (1) में, जहां-जहां भी शब्द "उप नगर प्रमुख" आये हों, उनके स्थान पर, शब्द "नगर प्रमुख या उप नगर प्रमुख" रख दिये जायेंगे ।

धारा 92 का संशोधन

9--मूल अधिनियम की धारा 92 में, उपधारा (1) में दोनों प्रतिबन्धात्मक खण्ड निकाल दिए जायेंगे ।

अध्याय--तीन

संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 का संशोधन

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 2 सन् 1916 की धारा 20 का संशोधन

10--संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 20 में, उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्--

"(5) याचिका उस क्षेत्र में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले जिला न्यायाधीश को प्रस्तुत की जायगी जिसमें वह नगरपालिका स्थित है, जिससे निर्वाचन याचिका सम्बन्धित है :

परन्तु याचिका जिला न्यायाधीश द्वारा ग्रहण नहीं की जायगी जब तक कि उसके साथ कोषागार चालान न हो जिसमें यह दर्शित हो कि विहित प्रतिभूति जमा कर दी गयी है ।"

धारा 22 का संशोधन

11--मूल अधिनियम की धारा 22 में,--

(क) पार्श्व शीर्षक में, शब्द "निर्वाचन न्यायाधिकरण द्वारा याचिका की सुनवाई" के स्थान पर शब्द "निर्वाचन याचिका की सुनवाई" रख दिए जायेंगे;

(ख) उपधारा (1) में, शब्द "यथास्थिति, जिला न्यायाधीश या सिविल न्यायाधीश" के स्थान पर, शब्द "जिला न्यायाधीश" रख दिये जायेंगे ;

(ग) उपधारा (2) से (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्—

"(2) उपधारा (1) के अधीन जिस निर्वाचन याचिका को अस्वीकार न किया गया हो, उसकी सुनवाई जिला न्यायाधीश द्वारा की जायगी।"

धारा 23 का संशोधन

12—मूल अधिनियम की धारा 23 में, जहां-जहां भी शब्द "निर्वाचन न्यायाधिकरण" या "न्यायाधिकरण" आये हों, उनके स्थान पर शब्द "जिला न्यायाधीश" रख दिए जायेंगे।

धारा 23-ए का निकाला जाना

13—मूल अधिनियम की धारा 23-ए निकाल दी जायगी।

धारा 24 का प्रतिस्थापन

14—मूल अधिनियम की धारा 24 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्—

"24—इस अधिनियम के अधीन किसी निर्वाचन याचिका में जिला न्यायाधीश द्वारा वाद व्यय के लिए या वाद व्यय के प्रतिभूति-पत्र की वसूली के लिए दिया गया कोई आदेश उसके द्वारा उस जिले के कलेक्टर को निष्पादन के लिए भेजा जा सकता है जिसमें संबद्ध नगरपालिका स्थित है और इस प्रकार भेजा गया आदेश कलेक्टर द्वारा उस रीति से निष्पादित किया जायगा मानो वह भू-राजस्व की बकाया के सम्बन्ध में हो।"

वाद व्यय के लिए उपबन्ध

धारा 25 का संशोधन

15—मूल अधिनियम की धारा 25 में, जहां-जहां भी शब्द "निर्वाचन-अधिकरण" या शब्द "निर्वाचन न्यायाधिकरण" आये हों, उनके स्थान पर, शब्द "जिला न्यायाधीश" रख दिए जायेंगे।

धारा 26 का संशोधन

16—मूल अधिनियम की धारा 26 में, जहां-जहां भी शब्द "निर्वाचन न्यायाधिकरण" आये हों, उनके स्थान पर शब्द "जिला न्यायाधीश" रख दिए जायेंगे।

धारा 27 का संशोधन

17—मूल अधिनियम की धारा 27 में, जहां-जहां भी शब्द "निर्वाचन-न्यायाधिकरण" आये हों, उनके स्थान पर शब्द "जिला न्यायाधीश" रख दिए जायेंगे।

धारा 43 का प्रतिस्थापन

18—मूल अधिनियम की धारा 43 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्—

"43-(1) धारा 3 के अधीन घोषित नगर से भिन्न किसी नगर के बोर्ड के सदस्यों का किसी सामान्य निर्वाचन में निर्वाचन पूरा हो जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, सदस्यगण एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार ऐसे बोर्ड के अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त मत-पत्र द्वारा किया जायगा।

अध्यक्ष का निर्वाचन

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन, भले ही कोई स्थान अपूरित रहे, पूरा समझा जायगा, यदि धारा 9 के अधीन नियत सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम—चतुष्पंचमांश सदस्य निर्वाचित हो गये हों।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट बोर्ड से भिन्न किसी बोर्ड का अध्यक्ष नगरपालिका के निर्वाचकों द्वारा निर्वाचित किया जायगा :

परन्तु यदि किसी सामान्य निर्वाचन में कोई व्यक्ति बोर्ड के, जिस पर यह उपधारा लागू होती है, सदस्य और अध्यक्ष दोनों ही रूप में निर्वाचित हो जाय, या ऐसे बोर्ड का सदस्य होते हुए, किसी उप निर्वाचन में अध्यक्ष निर्वाचित हो जाय तो वह धारा 40 में यथा उपबन्धित के सिवाय, अध्यक्ष निर्वाचित होने के दिनांक से सदस्य नहीं रह जायगा।"

धारा 43-एए का संशोधन

19—मूल अधिनियम की धारा 43-एए में, उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्—

"(3) बहिर्गामी अध्यक्ष पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होगा।"

नई धारा 43-ख, 43-खख और 43-ग का बढ़ाया जाना

20—मूल अधिनियम की धारा 43-एए के पश्चात् निम्नलिखित धारायें बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात्—

"43-ख-(1) अध्यक्ष के रूप में किसी व्यक्ति के निर्वाचन पर आपत्ति ऐसी निर्वाचन याचिका के सिवाय नहीं की जायगी, जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार किसी ऐसे सदस्य द्वारा जो निर्वाचन में मत देने का हकदार हों, या किसी ऐसे उम्मीदवार द्वारा जो निर्वाचन में हार गया हो, या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसका नाम-निर्देशन पत्र अस्वीकार कर दिया गया हो, धारा 19 की उपधारा (1) में उल्लिखित किसी एक या अधिक आधार पर या इस अधिनियम या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या आदेशों के उपबन्धों के अननुपालन के आधार पर जब ऐसे अननुपालन का निर्वाचन-फल पर सारवान प्रभाव पड़ा हो, प्रस्तुत की गई हो।

निर्वाचन याचिका

(2) निर्वाचन याचिका उस क्षेत्र में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले जिला न्यायाधीश को प्रस्तुत की जायगी, जिसमें वह नगरपालिका (म्युनिसिपैलिटी) स्थित है जिससे सम्बन्धित निर्वाचन याचिका है ।

(3) ऐसी निर्वाचन याचिका जिसके साथ ऐसा कोषागार चालान न हो जिसमें यह दर्शित हो कि धारा 43–ग के अधीन आदेश द्वारा विहित प्रतिभूति की राशि जमा कर दी गई है, या जो धारा 43–ग के अधीन आदेश द्वारा विहित समय के भीतर या रीति से प्रस्तुत नहीं की गई है या जिस पर अपेक्षित न्यायालय फीस का भुगतान याचिका प्रस्तुत करते समय या चौदह दिन से अनधिक ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर जो जिला न्यायाधीश ने दिया हो, न किया गया हो, अस्वीकार कर दी जायगी ।

(4) ऐसी निर्वाचन याचिका की, जिसे उपधारा (3) के अधीन अस्वीकार न किया गया हो, सुनवाई जिला न्यायाधीश द्वारा की जायेगी ।

याचिका का अन्तरण

43–खख (1) धारा 20 की उपधारा (5) या धारा 43–ख की उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत किसी निर्वाचन याचिका के किसी पक्षकार के आवेदन-पत्र और उसके अन्य पक्षकारों को नोटिस देने के पश्चात् और उनमें से ऐसे पक्षकारों की जो सुने जाने की इच्छा प्रकट करें, सुनवाई करने के पश्चात्, या स्वयमेव, ऐसी नोटिस के बिना, उच्च न्यायालय किसी प्रक्रम पर,—

(क) किसी जिला न्यायाधीश के समक्ष विचारण के लिए लम्बित किसी निर्वाचन याचिका का अन्तरण किसी अन्य जिला न्यायाधीश को कर सकता है; या

(ख) उसे उस जिला न्यायाधीश को जिससे उसे वापस लिया गया था, विचारण के लिए पुनः अन्तरित कर सकता है ।

(2) जिला न्यायाधीश इस अधिनियम के अधीन अपने समक्ष लम्बित किसी निर्वाचन याचिका का किसी प्रक्रम पर अन्तरण किसी अपर जिला न्यायाधीश को कर सकता है और किसी अपर जिला न्यायाधीश के समक्ष लम्बित किसी निर्वाचन याचिका को वापस ले सकता है और—

(एक) उसका अन्तरण या निस्तारण कर सकता है; या

(दो) विचारण या निस्तारण के लिए उसका अन्तरण किसी अन्य अपर जिला न्यायाधीश को कर सकता है; या

(तीन) विचारण या निस्तारण के लिए उसका पुनः अन्तरण उस न्यायालय को कर सकता है जिससे उसे वापस लिया गया था ।

(3) जहां उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन किसी निर्वाचन याचिका का अन्तरण या पुनः अन्तरण किया गया हो, वहां जिला न्यायाधीश या अपर जिला न्यायाधीश, जो तत्पश्चात् ऐसी याचिका का विचारण करे, अन्तरण के आदेश में किसी प्रतिकूल निदेश के अधीन रहते हुए उस बिन्दु से कार्यवाही करेगा, जिस पर उसे अन्तरित किया गया था या पुनः अन्तरित किया गया था :

परन्तु यदि वह उचित समझे तो पहले ही परीक्षित किसी साक्षी को पुनः बुला सकता है और उसका पुनः परीक्षण कर सकता है ।

अध्यक्ष के निर्वाचन के संबंध में राज्य सरकार की आदेश देने की शक्ति

43–ग—राज्य सरकार, आदेश द्वारा, अध्यक्ष के निर्वाचन के संचालन से और निर्वाचन संबंधी विवाद का निपटारा करने से सम्बन्धित निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में उपबन्ध कर सकती है, अर्थात्—

(क) रिटर्निंग आफिसर की नियुक्ति, शक्ति और कर्तव्य;

(ख) नाम-निर्देशन, संवीक्षा, नाम वापस लेने और मतदान के लिए दिनांक नियत करना;

(ग) नाम-निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की रीति और उसका प्रपत्र, विधिमान्य नाम-निर्देशन के लिए अपेक्षाएं, नाम-निर्देशन की संवीक्षा और उम्मीदवारी से नाम वापस लेना;

(घ) निर्वाचन की प्रक्रिया, जिसके अन्तर्गत मतदान के पूर्व किसी उम्मीदवार की मृत्यु हो जाना भी है, और सविरोध और निर्विरोध निर्वाचनों की प्रक्रिया;

(ङ) मतदान के घन्टे और मतदान का स्थगन;

(च) निर्वाचन में मतदान की रीति;

(छ) मतों की संवीक्षा और गणना जिसके अन्तर्गत मतों की पुनर्गणना भी है और मत बराबर-बराबर होने की स्थिति में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(ज) परिणाम की घोषणा और अधिसूचना;

(झ) नाम-निर्देशन के साथ प्रतिभूति जमा करना और उसकी वापसी और उसका समपहरण;

(ञ) निर्वाचन याचिका का प्रपत्र, उस पर देय न्यायालय फीस और उसके पक्षकार;

(ट) निर्वाचन याचिका प्रस्तुत करने की रीति और समय जिसके भीतर याचिका प्रस्तुत की जायगी;

(ठ) निर्वाचन याचिका के साथ प्रतिभूति जमा करना और उसकी वापसी और उसका समपहरण;

(ड) अनुतोष जो अर्जीदार मांग सकता है ;

(ढ) निर्वाचन याचिका की सुनवाई में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और सुनवाई का स्थान;

(ण) निर्वाचन याचिका पर कार्यवाही करते समय जिला न्यायाधीश या अपर जिला न्यायाधीश की शक्तियां ;

(त) निर्वाचन याचिका पर जिला न्यायाधीश या अपर जिला न्यायाधीश के आदेश जिसके अन्तर्गत निर्वाचित उम्मीदवार से भिन्न उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित करना और उसके आधार भी हैं;

(थ) भ्रष्ट आचरण करने के आधार पर उम्मीदवारों की अनर्हता; और

(द) सामान्यतया ऐसे समस्त विषय जो अध्यक्ष के निर्वाचन के संचालन और निर्वाचन के विवाद से सम्बन्धित हों।"

धारा 44-क का संशोधन

21—मूल अधिनियम की धारा 44-क में,—

(क) शब्द "धारा 43 में" के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिए जायेंगे, अर्थात्— "धारा 43 की, यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2) में";

(ख) प्रतिबन्धात्मक खण्ड निकाल दिया जायगा ।

धारा 87-क का संशोधन

22—मूल अधिनियम की धारा 87-क में,—

(क) उपधारा (2) में, शब्द "दो-तिहाई से" के स्थान पर शब्द, "आधे से" रख दिए जायेंगे;

(ख) उपधारा (12) में, शब्द "दो-तिहाई" के स्थान पर शब्द, "आधे से अधिक के" रख दिए जायेंगे ।

धारा 92 का संशोधन

23—मूल अधिनियम की धारा 92 में, उपधारा (1) में, प्रथम प्रतिवन्धात्मक खण्ड में, शब्द "अध्यक्ष [जो धारा 43 के अधीन, जैसी कि वह उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1976 के प्रारम्भ के पूर्व थी, या धारा 44-क के प्रतिवन्धात्मक खण्ड के अधीन बोर्ड के सदस्यों द्वारा निर्वाचित अध्यक्ष न हो]" के स्थान पर शब्द "धारा 43 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी बोर्ड के अध्यक्ष" रख दिए जायेंगे ।

अध्याय—चार

प्रकीर्ण

निरसन और अपवाद

24—(1) उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1982 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा-संशोधित अध्याय दो और तीन में निर्दिष्ट किसी मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उक्त अधिनियमों के तत्समान उपवन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपवन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

आज्ञा से,
गंगा वख्श सिंह,
सचिव ।

No. 1210 (2) /XVII-V—1-82-1981

Dated Lucknow, April 7, 1982

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the C tution, the Governor is pleased to order the publication of the following En translation of the Uttar Pradesh Nagar Swayatta Shasan Vidhi (Dv Sanshodhan) Adhiniyam, 1982 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 17 of 1 as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governo April 7, 1972 :

THE UTTAR PRADESH URBAN LOCAL SELF-GOVERNMEN LAWS (SECOND AMENDMENT) ACT, 1982

[U. P. Act no. 17 of 1982]

(*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959 a *the U. P. Municipalities Act*, 1916

It is hereby enacted in the Thirty-third Year of the Republic India as follows :

Chapter I

Preliminary

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Urban Loc Self-Government Laws (Second Amendment) Act, 1982.

(2) It shall be deemed to have come into force on January 4, 1982.

Chapter II

Amendment of the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959

Omission of section 11-A of U. P. Act 2 of 1959.

2. Section 11-A of the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959, hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, shall be *omitted*.

Amendment of section 12.

3. In section 12 of the principal Act,—

(*a*) in the marginal heading and in sub-section (1), *for* the words "Upa Nagar Pramukh" wherever they occur, the words "Nagar Pramukh and the Upa Nagar Pramukh" shall be *substituted*;

(*b*) in sub-section (3), *for* the words "the Upa Nagar Pramukh" the words "Nagar Pramukh and the Upa Nagar Pramukh" shall be *substituted*;

(*c*) in sub-section (5), *for* the words "Upa Nagar Pramukh" the words "the Nagar Pramukh and the Upa Nagar Pramukh" shall be *substituted*.

Amendment of section 13.

4. In section 13 of the principal Act, *for* the words "Upa Nagar Pramukh" the words "the Nagar Pramukh and the Upa Nagar Pramukh" shall be *substituted*.

Amendment of section 14.

5. In section 14 of the principal Act, *for* the words and figures "in section 11- A or section 12, as the case may be," the words and figure "in section 12" shall be *substituted*

Amendment of section 16.

6. In section 16 of the principal Act,—

(*a*) in sub-section (3), *for* the words "two-thirds" the words "one-half" shall be *substituted*;

(*b*) in sub-section (15), *for* the words "a majority of two-third" the words "a majority of more than one-half" shall be *substituted*.

Amendment of section 46.

7. In section 46 of the principal Act, in clause (*s*), *for* the words "Upa Nagar Pramukh" the words "the Nagar Pramukh and the Upa Nagar Pramukh" shall be *substituted*.

Amendment of section 61.

8. In section 61 of the principal Act, in the marginal heading and in sub-section (1), *for* the words "Upa Nagar Pramukh" wherever they occur, the words "Nagar Pramukh or Upa Nagar Pramukh" shall be *substituted*.

Amendment of section 92.

9. In section 92 of the principal Act, in sub-section (1) both the provisos shall be *omitted*.

CHAPTER III

Amendment of U. P. Municipalities Act, 1916

Amendment of section 20 of U. P. Act no. II of 1916.

10. In section 20 of the U. P. Municipalities Act, 1916, hereinafter in this chapter referred to as the principal Act, *for* sub-section (5), the following sub-section shall be *substituted*, namely:—

"(5) The petition shall be presented to the District Judge exercising jurisdiction in the area in which, the municipality, to which the election petition relates, is situate:

Provided that the petition shall not be entertained by the District Judge, unless it is accompanied by a treasury challan showing that the prescribed security has been deposited."

Amendment of section 22.

11. In section 22 of the principal Act,—

(*a*) in the marginal heading, *for* the words "Hearing of petition by Election Tribunal" the words "Hearing of Election Petition" shall be *substituted*;

(*b*) in sub-section (1), for the words "District Judge or the Civil Judge, as the case may be", the words "District Judge" shall be *substituted*;

(*c*) *for* sub-sections (2) to (4), the following sub-section shall be *substituted*, namely:—

"(2) An election petition not rejected under sub-section (1) shall be heard by the District Judge."

Amendment of section 23.

12. In section 23 of the principal Act, *for* the words "Election Tribunal" or "tribunal" wherever they occur, the words "District Judge" shall be *substituted*.

Omission of section 23-A.

13. Section 23-A of the principal Act, shall be *omitted*.

Substitution of section 24.

14. *For* section 24 of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely:—

"24. An order for costs or an order for the realization of a security bond for costs passed by the District Judge in an election petition under this Act may be sent by him for execution to the Collector of the district in which the Municipality concerned is situated and an order so sent shall be executed by the Collector in the same manner as if it were in respect of arrears of land revenue."

Provisions as to costs.

Amendment of section 25.

15. In section 25 of the principal Act, *for* the words "Election Tribunal", wherever they occur, the words "District Judge" shall be *substituted*.

Amendment of section 26.

16. In section 26 of the principal Act, *for* the words "Election Tribunal" wherever they occur, the words "District Judge" shall be *substituted*.

Amendment of section 27.

17. In section 27 of the principal Act, *for* the words "Election Tribunal" wherever they occur, the words "District Judge" shall be *substituted*.

Substitution of section 43.

18. *For* section 43 of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely:—

"43. (1) As soon as may be, after the election of members of the Board of a city other than a City declared as such under section 3, is completed at a general election, the members shall elect a President of such Board in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote and the voting at such election shall be by secret ballot.

Election of President.

Explanation—For the purposes of this sub-section, the election of members of the Board shall, notwithstanding any seat remaining unfilled, be deemed to be completed if at least four-fifth of total number of members fixed under section 9 have been elected.

(2) The President of a Board other than a Board referred to in sub-section (1) shall be elected by the electors in the municipality:

Provided that if in a general election a person is elected both as member and President of the Board, to which this sub-section applies, or being a member of such Board is elected President thereof in any bye-election, he shall, except as provided in section 40, cease to be a member from the date of his election as President."

Amendment of section 43-AA.

19. In section 43-AA of the principal Act, *after* sub-section (2), the following sub-section shall be *inserted*, namely:—

"(3) An outgoing President shall be eligible for re-election."

Insertion of new sections 43-B 43-BB and 43-C.

20. *After* section 43-AA of the principal Act, the following sections shall be *inserted*, namely:—

"43-B. (1) The election of any person as President shall not be called in question, except by an election petition presented in accordance with the provisions of this Act by any member entitled to vote at the election or by a candidate who has been defeated at the election or by any person whose nomination paper was rejected, on any one or more of the grounds mentioned in sub-section (1) of section 19 or on the ground of non-compliance with the provisions of this Act or any rules or orders made under this Act where such non-compliance has materially affected the result of the election.

Election petition.

(2) The election petition shall be presented to the District Judge exercising jurisdiction in the area in which the municipality to which the election petition relates, is situate.

(3) An election petition not accompanied by treasury challan showing that the amount of security prescribed by order under section 43-C has been deposited, or not presented within the time or in the manner prescribed by order under section 43-C or upon which the requisite court-fee has not been paid at the time of the presentation or within such further time not exceeding 14 days, as the District Judge may have granted, shall be rejected.

(4) An election petition not rejected under sub-section (3) shall be heard by the District Judge.

43-BB. (1) On the application of any party to an election petition presented under sub-section (5) of section 20 or sub-section (1) of section 43-B, and after notice to the other parties thereto, and after hearing such of them as desire to be heard, or of its own motion, without such notice, the High Court may at any stage—

Transfer of petition.

(*a*) transfer an election petition pending before a District Judge for trial to any other District Judge ; or

(*b*) re-transfer the same for trial to the District Judge from whom it was withdrawn.

(2) The District Judge may at any stage transfer an election petition pending before him under this Act to an Additional District Judge and may withdraw any election petition pending before an Additional District Judge and—

(i) transfer or dispose of the same; or

(ii) transfer the same for trial or disposal to any other Additional District Judge; or

(iii) re-transfer the same for trial or disposal to the Court from which it was withdrawn.

(3) Where any election petition has been transferred or re-transferred under sub-section (1) or sub-section (2), the District Judge or the Additional District Judge, who thereafter tries such petition, may, subject to any direction in the order of transfer to the contrary, proceed from the point at which it was transferred or re-transferred :

Provided that he may, if he thinks fit, re-call and re-examine any of the witnesses already examined.

Power of State Government to make order regarding election of President.

43-C. The State Government may, by order, make provision with respect to the following matters concerning the conduct of, and settlement of dispute regarding, election of President, that is to say—

(*a*) the appointment, powers and duties of Returning Officers;

(*b*) appointment of dates for nomination, scrutiny, withdrawal and polling;

(*c*) the manner of presentation and the form of nomination paper, the requirements for a valid nomination, scrutiny of nominations and withdrawal of candidature;

(*d*) procedure at election, including death of candidate before poll and procedure of contested and uncontested elections;

(*e*) hours of polling and adjournment of poll;

(*f*) manner of voting at elections;

(*g*) scrutiny and counting of votes including re-counting of votes and procedure to be followed in case of equality of votes;

(*h*) declaration and notification of results ;

(*i*) deposit of security with nomination and return and forfeiture thereof;

(*j*) form of the election petition, the court-fee payable thereon and parties thereto;

(*k*) manner of presentation of the election petition and the time within which the petition shall be presented;

(*l*) deposit of security with the election petition and return and forfeiture thereof;

(*m*) relief that may be claimed by the petitioner;

(*n*) procedure to be followed in the hearing of election petition and the place of hearing;

(*o*) powers of the District Judge or Additional District Judge while dealing with the election petition;

(*p*) orders of the District Judge or Additional District Judge on election petition including declaration of a candidate other than the returned candidate to have been elected and grounds therefor;

(*q*) disqualification of candidates on the grounds of committing corrupt practices; and

(*r*) generally on all matters relating to conduct of and dispute regarding election of Presidents."

Amendment of section 44-A.

21. In section 44-A of the principal Act,—

(*a*) *for* the words "in section 43" the following words shall be *substituted*, namely:—

"in sub-section (1) or sub-section (2) of section 43, as the case may be";

(*b*) the proviso shall be *omitted*.

Amendment of section 87-A.

22. In section 87-A of the principal Act,—

(*a*) in sub-section (2), *for* the word "two-thirds" the word "one shall be *substituted* ;

(*b*) in sub-section (12), *for* the word "two-thirds" the words than one-half" shall be *substituted.*

Amendment of section 92.

23. In section 92 of the principal Act, in sub-section (1), in the first pr *for* the words "[not being a President elected by members of the Board u section 43 as it stood before the commencement of the Uttar Pradesh U Local Self-Government Laws (Amendment) Act, 1976 or under the provi section 44-A]" the words "of a Board referred to in sub-section (2) of sectio shall be *substituted.*

CHAPTER IV

Miscellaneous

Repeal and savings.

24. (1) The Uttar Pradesh Urban Local Self-Government Laws (Se Amendment) Ordinance, 1982 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken un the provisions of any of the Principal Acts referred to in Chapters II and II amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to h been done or taken under the corresponding provisions of the said Acts amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at material times.

SRI C. P. N. SINGH,
Governor,
Uttar Pradesh.

By order,
G. B. SINGH,
Sachiv.

पी0एस0यू0पी0—ए0 पी0 10 सा0 विधा0—8-4-82—(75)—1982—700 (मैक0)।